राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, 22 गोदाम, जयपुर)
टेलीफैक्स नं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल–dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : भूमि / एफ.7(ड) / (श.स.शि) / डीएलबी / 2026 / 7412 **दिनांक :15.07.2026**

आदेश

राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु शहरी सेवा शिविर–2026 दिनांक 12.06.2026 से 15.07.20226 तक आयोजित किया गया था। उक्त समय अवधि में प्राप्त ऑललाईन आवेदन–पत्र / प्रार्थना–पत्र / लम्बित प्रकरणो के संबंध में समय–समय पर आदेश / परिपत्र के द्वारा विभिन्न छूटों / शिथिलताऐं प्रदान की गई थी। उक्त अवधि में प्राप्त आवेदनों का पूर्ण निस्तारण नहीं होने के क्रम में उक्त शिविर में प्राप्त ऑनलाईन आवेदन–पत्र / प्रार्थना–पत्र / लम्बित प्रकरणों का निस्तारण शिविर अवधि में दी गई छूट / शिथिलताओं को लागू मानते हुए दिनांक 15.08.2026 तक पूर्ण किये जाने बाबत् सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया जाता है। उक्त अवधि के पश्चात वर्तमान प्रभावी अधिनियम, नियम, आदेश एवं परिपत्रों के अनुसार ही कार्यवाही की जावें।

(रवि विजय)
(उप शासन सचिव)
नगरीय विकास विभाग

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
(निदेशक एवं विशिष्ट सचिव)
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक : भूमि / एफ.7(ड) / (श.स.शि) / डीएलबी / 2026 / 7413–32 **दिनांक :15.07.2026**

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

01. अतिरिक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
05. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
06. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
07. निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
08. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
09. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।

Scanned with OKEN Scanner

11. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
13. उप शासन सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान।
15. समस्त प्रशासक/नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान ।
16. समस्त आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान ।
17. नविवि, स्वा. शा. एवं हाउसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारीगण।
18. जनसम्पर्क अधिकारी, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, आवासन मण्डल, राजस्थान।
19. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, आवासन मण्डल, राजस्थान।
20. सुरक्षित पत्रावली ।

(निदेशक एवं विशिष्ट सचिव)

Scanned with OKEN Scanner